

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-20 पार्ट-2/2023/480

दिनांक:- 02/11/23

आदेश

निम्नलिखित कार्मिका को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृति तिथि
1	श्यामा जोशी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	जोधपुर	15.09.1966	05.12.1987	02.11.2023

उक्त कार्मिका का स्वैच्छिक सेवानिवृति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/एक्स-20 पार्ट-2/2023/480

दिनांक:- 02/11/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी(अराजपत्रित)/टी.सी (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. आदेश रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
4965210

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh

Kumar Nawal

Designation: Director

Date :02-11-2023 12:49:46